प्रदेश में नए उपनगर और निर्यात हब बनेंगे, कैबिनेट कानून का मसौदा जल्द पास करेगी

निर्माण क्षेत्र प्राधिकरण बनाने को नया कानून

तैयारी

■ अजित खरे

लखनऊ। यूपी सरकार नया उत्तर प्रदेश नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्यूफैक्चरिंग 'निर्माण' क्षेत्र संबंधी नया कानून बनाने जा रही है। इसके तहत बनने वाला शक्तिशाली निर्माण प्राधिकरण उपनगरों को नए सिरे से विकसित कर उन्हें निवेश व निर्यात हब के रूप में स्थापित करेगा। इसके लिए इन क्षेत्रों का नए सिरे मास्टर प्लान बनाएगा और संबंधित औद्योगिक व विकास प्राधिकरणों को जरूरी होने पर निर्देशत करेगा। प्राधिकरण के अलावा एक हाईपावर बोर्ड भी बनेगा जिसके अध्यक्ष सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे।

इससे संबंधित एक्ट के मसौदे को कैबिनेट से पास करा कर इसे आगामी विधानमंडल में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इस एक्ट के लागू होने के बाद यूपी सरकार औद्योगिक या अन्य प्राधिकरण या निगमों की कम से कम 50 वर्गमीटर के किसी क्षेत्र की जमीन को निर्माण क्षेत्र घोषित कर सकती है और इसे निर्माण क्षेत्र मानते हुए उपनगर के तौर पर विकसित किया जाएगा। निर्माण प्राधिकरण इन उपनगरों का अलग से मास्टर प्लान व विकास योजनाएं बनाएगा और इन्हें इंडस्ट्रियल टाउनशिप के तौर पर विकसित किया जाएगा। निर्माण प्राधिकरण एक स्वतंत्र प्राधिकरण के तौर पर काम करते हुए खुद सारे निर्णय लेगा और उसमें लोकल अथारिटी का दखल नहीं होगा।

50
वर्गमी. या ज्यादा भूमि को निर्माण क्षेत्र घोषित किया जा सकता है कानून लागू होने के बाद

एक्ट के मसौदे में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में निर्माण क्षेत्र बोर्ड बनाने का प्रावधान किया गया है। सीएम के अलावा बोर्ड में औद्योगिक विकास मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। एमएसएमई, श्रम, वित्त विभाग के मंत्री, मुख्य सचिव, आईडीसी, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास, अपर मुख्य सचिव राजस्व, अपर मुख्य सचिव श्रम, व निर्माण क्षेत्र प्राधिकरण के सीईओ इस बोर्ड के सदस्य होंगे। यह बोर्ड निर्माण प्राधिकरण के काम में आने वाली मुश्किलों का समाधान कराएगा और इससे जुड़े नीतिगत मसलों पर जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार, नेशलन कैपिटल रीजन से समन्वय करेगा। निर्माण क्षेत्र के विकास, प्रबंधन, आपरेशन, रेगुलेशन के लिए यह बोर्ड नए प्रावधान भी करेगा। निर्माण क्षेत्र प्राधिकरण में सचिव स्तर का एक सीईओ व दो या उससे अधिक एडिशनल सीईओ तैनात होंगे। निर्माण क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष आईडीसी होंगे। कमेटी निजी सेक्टर को बढ़ावा देने, आय के स्रोत बनाने व जमीन आवंटन करने, अवैध निर्माण हटाने, किसी योजना को रद करने, किसी मामले में जांच, सर्वे, परीक्षण को तय नियमों के अनुरूप देखेगी। निर्माण क्षेत्र में नगरीय सुविधाएं भी उपलब्ध करवाएगी। साथ लेवी, फीस, कर, विकास चार्ज, यूजर चार्ज, भी वसूलेगी।

प्राधिकरण बनने के बाद इस तरह होगा काम

निर्माण क्षेत्र प्राधिकरण बनने के बाद निर्माण क्षेत्र व उससे उपनगर घोषित होगा। इसके बाद इसका मास्टर प्लान बनेगा। दो महीने में इस मंजूर कराया जाएगा। किसी अन्य मास्टर प्लान के दोहराव की स्थिति में निर्माण क्षेत्र प्राधिकरण का मास्टर प्लान मान्य होगा। नया प्राधिकरण किसी भी सरकारी एजेंसी या सरकारी अधिकारी को किसी योजना के लागू करने के संबंध में निर्देशित कर सकता है और उसे इसका पालन करना बाध्य होगा। सरकारी एजेंसी में सभी तरह के पहले से बने प्राधिकरण व नगर निगम व अन्य संस्थाएं शामिल हैं। निर्माण बोर्ड, निर्माण कमेटी व निर्माण प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा। इस पर कोई मुकदमा या विधिक कार्यवाही संभव नहीं हो सकेगी। इस एक्ट के तहत कोई कोर्ट इसके राज्य सरकार, बोर्ड, प्राधिकरण व कमेटी द्वारा तय निर्णयों का संज्ञान नहीं लेगी।